रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276271
CG-DL-E-16092026-276271

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948
No. 732] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 800(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-**II**, खंड **3,** उपखंड **(i)** में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 526(अ) तारीख **29 जून, 2026**, जारी संख्या 474, कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा स्कीम, 2026 में,

1. पृष्ठ 2 में,-
   i. पंक्ति 10 पर, **"46"** के स्थान पर **"44"** पढ़ें;
   ii. पंक्ति 19 पर, **"निक्षेप सहबद्ध"** के स्थान पर **"निक्षेप-सहबद्ध"** पढ़ें;
2. पृष्ठ 3 में,-
   i पंक्ति 4 पर, **"नियोक्ता से दंड के रूप में नुकसानी वसूल कर सकता है"** के स्थान पर **"नियोक्ता से नुकसानी वसूल कर सकता है"** पढ़ें;
   ii पंक्ति 29 पर, **"निक्षेप सहबद्ध"** के स्थान पर **"निक्षेप-सहबद्ध"** पढ़ें;
3. पृष्ठ 4 में,-
   i पंक्ति 20 पर, **"निक्षेप सहबद्ध"** के स्थान पर **"निक्षेप-सहबद्ध"** पढ़ें;
4. पृष्ठ 5 में,-

i. पंक्ति 20 पर, **"जो पूर्ववर्ती बारह महीनों** के दौरान या उसकी सदस्यता कि अवधि **के दौरान, जो भी कम हो, निधि में या भविष्य निधि में"** के स्थान पर **"जो यथास्थिति, संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि में पूर्ववर्ती बारह मास** के दौरान या उसकी सदस्यता कि अवधि के दौरान, जो **भी कम हो, निधि में या भविष्य निधि में"** पढ़ें;

ii. पंक्ति 30 पर, "**चाहे वह निधि** में या छूट प्राप्त भविष्य निधि में भुगतान किया गया हो या भुगतान न किया **गया हों, उसपर ब्याज सहित**" के स्थान पर **"चाहे वह निधि में या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि, यथास्थिति**, में भुगतान किया गया हो या संदाय न किया गया हो, उस पर ब्याज सहित" पढ़ें;

5. पृष्ठ 6 में,-

i पंक्ति 3 पर, **"पिछले बारह माह के दौरान निधि या भविष्य निधि"** के स्थान पर **"यथास्थिति, पिछले बारह मास के दौरान निधि या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि"** पढ़ें;

ii पंक्ति 7 पर, **"व्यक्तियों"** के स्थान पर **"व्यक्ति/(यों)"** पढ़ें;

6. पृष्ठ 7 में,-

i पंक्ति 8 पर, **"जो परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को देय होगा"** के स्थान पर **"जो यथास्थिति, परिवार के अन्य पात्र सदस्यों या नामांकित व्यक्ति को देय होगा"** पढ़ें;

7. पृष्ठ 8 में,-

i पंक्ति 6 पर, **"कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध"** के स्थान पर **"कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध"** पढ़ें;

ii पंक्ति 11 पर, **"कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध"** के स्थान पर **"कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध"** पढ़ें;

iii पंक्ति 15 पर, **"कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध"** के स्थान पर **"कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध"** पढ़ें;

8. पृष्ठ 11 में,-

पंक्ति 18 पर, **"क+ख-ग"** के स्थान पर **"1+2-3"** पढ़ें;

9. इसके अतिरिक्त **"प्रतिष्ठान"** के लिए **"स्थापन"** और **"प्रतिष्ठानों"** के लिए **"स्थापनों" पढ़ें।**

[फा. सं. एस-35026/06/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

UNCOMPLY CAFE Simplifying compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA